

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग


क्रमांक: एफ 1(4) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/2019/९४७०-७५७ जयपुर, दिनांक ११-११.२०१९

अधिसूचना

वर्षा की कमी, सतही जल और भू जल उपलब्धता में कमी, फसलों की कमज़ोरी इथिति एवं रिमोट सेंसिंग (Remote Sensing) से प्राप्त सूचनाओं आदि को ध्यान में रखते हुए खरीफ सम्वत् २०७६ में सूखे के कारण अभाव से प्रभावित क्षेत्रों का आंकलन कर सूखा संहिता के आधार पर एवं राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सर्सेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, १९५२ (राजस्थान अधिनियम संख्या २१ सन् १९५२) की धारा ३ व ४ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के ४ जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, गम्भीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त (Severe and Moderate category drought affected) घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा ५ से १० तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से ६ माह तक लागू रहेंगे:—

क्र.सं.	जिला	तहसील	गम्भीर सूखाग्रस्त गांवों की संख्या	मध्यम सूखाग्रस्त गांवों की संख्या	प्रभावित गांवों की संख्या
1.	बाड़मेर	4	131	92	223
2.	जैसलमेर	4	632	40	672
3.	जोधपुर	3	13	297	310
4.	हनुमानगढ़	2	182	1	183
कुल योग:—		13	958	430	1388

राज्यपाल की आज्ञा से,


 ११/११/१९
 (सिद्धार्थ महाजन)
 शासन सचिव